

पत्रांक 1167/216

दिनांक 18/03/2013

प्रेषक  
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

सेवा में,

प्रधानाध्यापक  
Koncept Public School  
Loudia, Chakradharpur

विषय:- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों की मान्यता एवं प्रारंभिक कक्षा में 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है एवं विद्यालय को प्रारंभिक कक्षा के नामांकन क्षमता (Intake Capacity) का 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुओं पर अभी तक किये गये कार्यों का प्रतिवेदन निम्नांकित अभिलेखों के साथ पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. विद्यालय की मान्यता से संबंधित अभिलेख की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति।
2. विद्यालय के प्रारंभिक कक्षा में नामांकन की क्षमता (Intake Capacity) से संबंधित अभिलेख की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।
3. शैक्षणिक वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में प्रारंभिक कक्षा में 25% निःशुल्क शिक्षा हेतु नामांकित किये गये बच्चों की सूची निम्न प्रपत्र में दें।

क्र.सं.	बच्चे का नाम	पिता/ अभिभावक का नाम	उम्र	लिंग	कोटि	किस कक्षा में नामांकित किया गया	अभ्युक्ति

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक -सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

ज्ञापाक 1167/216 / चाईबासा, दिनांक 18/03/2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने प्रखण्ड के सभी निजी विद्यालयों से उपर्युक्त सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18/03/13

91/18/3/13  
जिला शिक्षा अधीक्षक -सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Principal  
KONCEPT PUBLIC SCHOOL  
Chakradharpur, Jharkhand

Chairman  
Koncept Institute of Management  
and Technology